



## यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

### U J V N Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "उज्ज्वल", महारानी बाग, जी०एम०एस० रोड, देहरादून - 248006 (उत्तराखण्ड)

Human Resources Department, "Ujjwal", Maharani Bagh G.M.S. Road, Dehradun - 248006 (Uttarakhand)

दूरभाष / Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स / Fax-0135-2531343/2531646 Website: [www.ujvnl.com](http://www.ujvnl.com) CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 14001

### कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15/UJVNL/05/Director HR/DGM(HR)/M-1 Dated: 21/01/2023 के क्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निम्नलिखित आदेशों के द्वारा मान्यता प्रदान किये गये चिकित्सालयों, को यूजेवीएन लि० द्वारा भी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय मानते हुए, यूजेवीएन लि० के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों, तथा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक, जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों, सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त उनकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) द्वारा उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सा कराये जाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों का निस्तारण किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है।

उत्तरप्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के आदेश संख्या 3030-औसं-17/पाकालि/2023-11(01)ए०एस०/09 (23-24) दिनांक 07.07.2023 एवं आदेश संख्या 3900-औसं-17/पाकालि/2023-11(4)एफ/86 (वो०-3) दिनांक 28.08.2023 के द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी गयी है:-

1. आदेश संख्या 3030 दिनांक 07.07.2023 में इंगित 25 चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की दिनांक 31.03.2023 से अग्रेतर अवधि हेतु मान्यता विस्तारित की गई है।
2. लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में करायी गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु आदेश संख्या 3900 दिनांक 28.08.2023 में इंगित 36 चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की दिनांक 30.06.2022 के उपरान्त अग्रेतर मान्यता अवधि दिनांक 01.07.2023 से 30.06.2024 तक विस्तारित की गई है। जो कि निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी गयी है :-
  - (a) बाह्य रोगी के रूप में उपचार हेतु केवल औषधियों/दवाओं पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। रक्त व अन्य परीक्षण/जॉच में हुए व्यय, तथा भोजन/न्यूटीशस वैल्यू बढ़ाने सम्बन्धी दवायें/टॉनिक तथा साफ सफाई सेनीटेशन आदि से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
  - (b) बाह्य रोगी के रूप में किसी भी चिकित्सालय में करायी गयी कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी की चिकित्सा विधि एवं उसमें प्रयुक्त होने वाली दवाओं आदि पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी। सी०टी० स्कैन एवं एम०आर०आई० की प्रतिपूर्ति तथा डायलिसिस के व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती आदेशों के अन्तर्गत यथावत् अनुमन्य होगी।

क्रमशः.....2/

(c) बिन्दु संख्या 02 में सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु कारपोरेशन के आदेश संख्या 3330-औसं/2018 दिनांक 08.08.2018 द्वारा निर्धारित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरें ही अनुमन्य की जायेगी।

प्रतिबंध :-

1. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के उपरोक्त अंकित आदेश में उल्लिखित चिकित्सालयों के अतिरिक्त दिनांक 30.04.2023 के पश्चात मान्यता प्रदान किये गये चिकित्सालय एवं आगामी अवधि में यदि अन्य चिकित्सालयों को भी मान्यता प्रदान की जाती है अथवा मान्यता प्रदान की जा चुकी है तो वे चिकित्सालय भी यूजेवीएन लि० द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की श्रेणी में रखे जायेंगे। इस हेतु यूजेवीएन लि० द्वारा अलग से आदेश निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
2. यूजेवीएन लि० के समस्त कार्यालयों द्वारा संलग्न सूची के मान्यता प्रदान चिकित्सालयों में कराये जाने वाले उपचार से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेब साईट [www.uppcl.org-Medical/E-Book](http://www.uppcl.org-Medical/E-Book) का अवलोकन कर यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त चिकित्सालय की मान्यता जारी है अथवा नहीं। चिकित्सालय की मान्यता होने की स्थिति में ही प्रकरण पर विचार किया जाये।
3. वर्तमान में यूजेवीएन लि० के लगभग समस्त कार्यालयों में नैट कनैक्शन की सुविधा उपलब्ध है और उ०प्र० कारपोरेशन लि० की वेब साईट [www.uppcl.org-Medical/E-Book](http://www.uppcl.org-Medical/E-Book) से सम्बन्धित आदेश डाउनलोड किये जा सकते हैं। किसी भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण को यूजेवीएन लि० मुख्यालय को अग्रसारित करते हुए अथवा अपने स्तर से निस्तारित करते हुए उ०प्र० कारपोरेशन लि० की वेब साईट [www.uppcl.org-Medical/E-Book](http://www.uppcl.org-Medical/E-Book) से डाउनलोड किये गये आदेशों को अवश्य संज्ञान में लिया जाये एवं उसकी एक प्रति प्रकरण अग्रसारित करते समय अवश्य संलग्न की जाये।
4. यूजेवीएन लि० द्वारा मेदान्ता-दी मेडिसिटी, सेक्टर-38, गुडगांव (हरियाणा) को कार्यालय ज्ञापन संख्या 109 दिनांक 06.09.2023 के द्वारा दिनांक 01.06.2023 से दिनांक 31.05.2025 तक एवं सरगंगा राम हॉस्पिटल, दिल्ली को कार्यालय ज्ञापन संख्या 232 दिनांक 20.06.2022 के द्वारा दिनांक 01.06.2021 से दिनांक 30.05.2024 तक क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) हेतु अलग से मान्यता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत यूजेवीएन लि० एवं उक्त चिकित्सालय के मध्य गठित अनुबन्ध के अनुसार क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) उपलब्ध होगी, लेकिन संलग्न सूची में दर्शाये गये अन्य चिकित्सालयों में क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) उपलब्ध नहीं होगी, तथा चिकित्सा उपरान्त सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा रोगी से चिकित्सा व्यय के सापेक्ष पूर्ण भुगतान प्राप्त किया जायेगा।
5. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित मान्यता विस्तारित विषयक आदेशों में उल्लिखित समस्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थानों को कारपोरेशन द्वारा सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरें अनुमन्य की गई है। उक्त के दृष्टिगत यदि यूजेवीएन लि० के कार्मिकों द्वारा उक्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराया जाता है, जिसके सापेक्ष सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा अपनी वर्तमान में लागू दरों के अनुरूप बीजक निर्गत किया जाता है, तो यूजेवीएन लि० द्वारा ऐसे सभी प्रकरणों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति सी०जी०एच०एस०-2014 (Updated on 07<sup>th</sup> January 2022) की दरों के अनुरूप की जायेगी।

निदेशक (मा०सं०)

क्रमशः.....3/

L.No:

/UJVNL/05/Director HR/DGM(HR)/M-1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक (परिचालन) / (परियोजनाएं) / (वित्त) / (मांसं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (जानपद) / (वि०/या०) / (ओ०एण्डएम०) / (वित्त) / (मांसं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. उपमहाप्रबन्धक, (कार्मिक), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. उपमहाप्रबन्धक, (आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को निगम की वैबसाइट पर "चिकित्सालयों की मान्यता शीर्षक के अन्तर्गत" अपलोड करने हेतु।
8. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी, सी०एस०पी०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
11. चिकित्साधिकारी, मुख्यालय यमुना भवन, देहरादून।
12. समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालयों के प्रबन्धक।
13. अध्यक्ष / महामंत्री समस्त यूनियन / एसोसिएशन।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

  
(राजेश चन्द्र)  
उपमहाप्रबन्धक (मांसं०)